न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रा0 पत्र संख्या :–41 / 2020 दायर दिनांक: 15.06.2020

CMS NO:- 2020/00091

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हेमकंवर बैवा जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. अनिता कंवर पुत्री जोधराज सिंह जाति राजपूत हाल पत्नि नन्दसिंह निवासी धोवडा जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. पप्पू पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. गोपी पुत्र जीवन जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बून्दी चित्तौड क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 223 / 10–10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 223 में आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 221 व 222 के मध्य होकर निकल रहा था। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 221 व 222 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 222 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या 221 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

00–04 बीघा है। यह कि संलग्न नक्शा ट्रेस में बताये गये बिन्दू A से B तक वर्तमान में ...यूडी की पक्की सडक बनी हुई है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/आवागमन हेतु काम में ली जा रही है ...वं मौके पर सुचारू रूप से संचालित है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट पीपल्या में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 223/10–10 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 222 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या 221 में से रकबा 45 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–02 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested